

ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क (एआईपीएसएन)

14 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषाओं का जवाब।

14 अप्रैल 2020 को राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन काफी निराशाजनक रहा। उनका यह बयान अधिकांश भारतीय लोगों, विशेष रूप से गरीब और कमज़ोर वर्ग, की बुनियादी ज़रूरतों पर एक दर्दनाक अघात है। भारत सरकार द्वारा 1.7 लाख करोड़ की मदद का आश्वासन, जो 2.6 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का 0.87% है, इस व्यापक संकट का सामना करने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत महत्वहीन है।

21 दिनों की तालाबंदी के बाद सरकार ने इसे 18 दिनों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें पहले सप्ताह यानी 20 अप्रैल तक प्रतिबंधों को और अधिक सख्ती से अमल में लाया जाएगा। लेकिन एक आधार के रूप में न तो कोई महामारी विज्ञान से जुड़ा साक्ष्य दिया गया और न ही कोई डेटा का हवाला दिया गया। बस एक भ्रमात्मक धारणा के तहत यह बताया गया कि तालाबंदी ही एक एकमात्र मुख्य हथियार है या फिर यदि कोई पीएम के पसंदीदा पौराणिक शैली का अनुसरण करता है तो यह एक *ब्रह्मास्त्र* या *लक्ष्मण रेखा* से कम नहीं। जिस तरह से तालाबंदी की कल्पना की गई है और अब तक लागू किया गया है, और आगे भी घोषित विस्तार किया गया है, ऐसा लगता है कि कोविड-19 महामारी के लिए एक-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। ऐसे में तालाबंदी के दौरान प्रतिबंधों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से पुलिस पर निर्भर किया जा रहा है, जिनका बर्ताव अक्सर ऐसा है कि मानो महामारी नहीं बल्कि लोग ही दुश्मन हैं। यह सीधे तौर पर पीएम के दावे के विपरीत है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने "समग्र और समाकलित पद्धति" अपनाई है।

पीएम के भाषण में किए गए दावे कि "देश को तालाबंदी से बहुत फायदा हुआ है", "आर्थिक दृष्टिकोण" से भले ही कितने "मूल्यवान" लगते हों लेकिन यह सब तथ्यों के विपरीत हैं। अच्छी तरह से देखा जाए तो यह आर्थिक दृष्टिकोण के साथ विश्वासघात करते हैं। प्रवासी कामगारों और असंगठित क्षेत्र के मज़दूर अनियंत्रित कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। भोजन और सूखे राशन की कमी, अति संकुचित निवास में एक दूसरे से दूरी का पालन न करने से संक्रमण का खतरा भी अधिक रहता है। यहां तक कि उनके पास तो आय अर्जित करने का भी कोई अवसर नहीं है। एक समाकलित पद्धति अपनाने से इस स्थिति को रोका जा सकता था।

सरकार ने 1 लाख बिस्तर और कई अस्पतालों को तैयार करना एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनवाया है। लेकिन ये बिस्तर और अस्पताल पहले से उपलब्ध सुविधाओं से युक्त हैं जिन्हें कोविड-19 रोगियों के लिए सुनिश्चित किया गया है। शुक्र है कि अभी तक यह उपयोग में नहीं आए हैं लेकिन दुर्भाग्यवश यह अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों के लिए अनुपलब्ध है। अति गंभीर मामलों के अलावा अन्य रोगियों को अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं, यहां तक कि ओपीडी, से भी वंचित किया गया है। परिवहन की कुल अनुपस्थिति भी लोगों को इन आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच से वंचित करती है।

पीएम ने सरकार द्वारा एन95 मास्क, सुरक्षात्मक कपड़ों और पीपीई की कमी को दूर करने के किसी भी उपाय का कोई उल्लेख नहीं किया है। यहां तक कि "कोरोना योद्धाओं" का लोगों ने अभिवादन के रूप में ताली और थाली बजाकर, दिया और मोमबत्ती जलाकर प्रोत्साहन किया था, उनमें से तो कई योद्धा पहले ही अपनी जान गवां चुके हैं। न तो पीएम ने भारत में असामान्य रूप से परीक्षण के कम स्तर पर कोई बात कही और न ही परीक्षण किटों की अपर्याप्तता को संबोधित किया।

यह बहुत ही अफसोस की बात है कि पीएम ने बार-बार साथ खड़े रहने की बात पर ज़ोर तो दिया लेकिन कोविड-19 महामारी के बढ़ते सम्प्रदायिकरण और संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को एक शैतान के रूप में प्रस्तुत करने को लेकर कोई निंदा नहीं की।

अपने भाषण में, पीएम ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए लोगों से 7 चीज़ों का आह्वान किया है। इसमें बुजुर्गों की देखभाल करना, अप्रमाणित आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से प्रतिरक्षा को मज़बूत करना, अत्यधिक दखल देने वाले आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना, विशेष रूप से भोजन प्रदान करके गरीबों की देखभाल करना, कर्मचारियों के प्रति दयालु होना और उन्हें आजीविका से वंचित न करना, हमारे कोरोना योद्धा यानी डॉक्टरों, नुर्सों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और पुलिस के प्रति का अत्यधिक सम्मान करना शामिल है। एक नगर-विषयक संगठन और नागरिकों के रूप में हमें विश्वास है कि लोग पीएम की अधिकांश उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।

संकट के इस समय में, हम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से आग्रह करते हैं कि वे निम्नलिखित इन 7 चीज़ों पर तत्काल अमल करें:

- 1) सरकार द्वारा पर्याप्त भोजन/सूखा राशन, उचित और स्वच्छ आश्रय जिसमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने की व्यवस्था की पूरी ज़िम्मेदारी, इसके साथ ही मजदूरों को मिलने वाली आय के बदले में वित्तीय सहायता प्रदान करना और इन कार्यों को स्वैच्छिक प्रयासों के लिए न छोड़ना।
- 2) डॉक्टरों, नर्सों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और अन्य "कोरोना योद्धाओं" की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से घरेलू निर्माताओं द्वारा निर्मित उत्तम मास्क, सुरक्षात्मक कपड़े, पीपीई के तत्काल अधिग्रहण और वितरण को सुनिश्चित करें; लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम ओपीडी और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को शुरू करें।
- 3) पर्याप्त आरटी-पीसीआर और एंटी-बॉडी "रैपिड" टेस्ट किट का अधिग्रहण सुनिश्चित करें। इसे भी विशेष रूप से घरेलू निर्माताओं द्वारा तेज़ी के साथ तैयार किया जाए जिससे आवश्यक स्तर पर परीक्षणों को बढ़ाया जा सके।
- 4) मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेयरी और एनटीएफपी क्षेत्रों सहित कृषि कार्यों में सुविधा के साथ साथ इससे संबंधित खरीद, कृषि-प्रसंस्करण, परिवहन, और विपणन को शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए अपनाया जाए। इसके अलावा, मनरेगा के कार्यों को उपयुक्त रूप से संशोधित मानदंडों के साथ तेज़ी से बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों, खेत तथा गैर-कृषि श्रमिकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सहायता की जा सके।
- 5) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और स्व-नियोजित श्रमिकों को फिर से काम शुरू करने का अधिकार देना चाहिए, बर्खास्तगी या निलंबन से कानूनी संरक्षण का विस्तार करना चाहिए, जागीरदारों द्वारा बेदखल करने से रोक लगना चाहिए जिसमें बेरोज़गारी भत्ता और एसएमई, जागीरदारों, आदि को वित्तीय सहायता शामिल है।
- 6) सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए मुफ्त अंतर-राज्य और स्थानीय परिवहन को सुनिश्चित करना, इसके साथ ही वर्तमान में सरकारी छूट के ख़राब कार्यान्वयन से दवाओं एवं पीपीई सहित सप्लाई चेन की बहाली करना; विशेष रूप से बुजुर्गों, विकलांगों और अन्य विशेष ज़रूरतों वाले लोगों के लिए आवश्यक परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना।

- 7) कोविड-19 रोगियों, पॉजिटिव मामलों, कोरंटीन मामलों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आदि पर किए जाने वाले लांछन और महामारी के सांप्रदायिकरण के सभी रूपों के खिलाफ आवश्यक रूप से मुकदमा चलाने के साथ प्रभावी प्रचार अभियान शुरू करें।